रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--23 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—23

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07102023-249227
CG-DL-W-07102023-249227

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 7—अक्तूबर 13, 2023 (आश्विन 15, 1945)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 7—OCTOBER 13, 2023 (ASVINA 15, 1945)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं. 609

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. 933

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. 11

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. 2291

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. 1919

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. ..... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. 183

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. 3605

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	609
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	933
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2291
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1919
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	183
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	3605
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्तूबर 2023

संकल्प

सं. 5(3)-बी(पी.डी.)/2023—आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2023-2024 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 अक्तूबर, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:—

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आशीष वच्छानी
अपर सचिव

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2023

सं. 9-17/1989-यू.3/यू.3(ए)-V-III—जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 24.10.2022 की अधिसूचना संख्या 9-17/89-यू.3 के माध्यम से भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक समवत विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया था।

2. और जबकि, रजिस्ट्रार, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय (पूर्व में भातखंडे संगीत संस्थान), लखनऊ ने दिनांक 15.05.2023 के पत्र संख्या 124 बीएसयू-1(11)/2023 द्वारा सूचित किया कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दिनांक 03.06.2022 के विधायी अनुभाग-1, अधिसूचना संख्या 296/79/वी-1-2022-1-ए-1-2022 के तहत भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ के दर्जे को समवत विश्वविद्यालय से भातखंडे संस्कृति

विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया है। तदनुसार, उन्होंने भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ को समवत विश्वविद्यालय की सूची से गैर-अधिसूचित करने का अनुरोध किया।

3. और जबकि, चूंकि भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ ने स्वयं को समवत विश्वविद्यालय से राज्य निजी विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने से पूर्व केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था, इसलिए इस मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उनकी सलाह के लिए भेजा गया था।

4. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 07.07.2023 के अपने पत्र संख्या 5-19/85 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि मंत्रालय भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ को समवत विश्वविद्यालय के दर्जे से गैर-अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है।

5. इसलिए, अब, यह मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर निम्नलिखित शर्तों के साथ दिनांक 24-10-2000 की अधिसूचना संख्या 9-17/89-यू3 द्वारा भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ को दिए गए समवत विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा वापस लेता है:—

(i) भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ में नामांकित छात्रों के अंतिम बैच के हितों की रक्षा करेगा।

(ii) भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ से पहले ही उत्तीर्ण हो चुके छात्रों के अभिलेखों/सामग्री को संरक्षित करेगा।

(iii) भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ से संबंधित आधिकारिक पत्रों/शिकायतों को प्राप्त/स्वीकार करेगा।

(iv) भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ से संबद्ध संकाय कर्मचारियों और गैर-संकाय कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा करेगा।

(v) भातखंडे संगीत संस्थान, लखनऊ के नाम पर कानूनी और वित्तीय स्थिति सहित सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय को हस्तांतरित और निहित की जाएंगी।

(vi) भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय, 2018 संबंधी समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी विनियमों का पालन करेगा और केंद्र सरकार के अन्य लागू नियमों/विनियमों का पालन करेगा।

6. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रभावी होगी जब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पैरा 5 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन को अधिसूचित किया जाएगा।

नीता प्रसाद
संयुक्त सचिव

सं. 9-21/2000-यू3(ए)—जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार, आयोग की सलाह पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त उच्च शिक्षा के लिए कोई भी संस्थान उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ समवत विश्वविद्यालय माना जाएगा।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 20.06.2002 की अधिसूचना संख्या 9-21/2000-यू.3 के तहत पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, नेरुल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र को पांच साल बाद समीक्षा के अध्यधीन एक समवत विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया था। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय की दिनांक 06.06.2018 और 06.05.2019 की अधिसूचना संख्या 9-21/2000-यू.3 (पार्ट 1) के तहत इसके समवत विश्वविद्यालय के दर्जे की अवधि को दिनांक 30.06.2020 तक बढ़ा दिया गया था।

3. और इसके बाद जबकि, समवत विश्वविद्यालय ने मौजूदा 'पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ', नवी मुंबई, महाराष्ट्र का नाम बदलकर 'डीवाई पाटिल', नवी मुंबई, महाराष्ट्र करने का अनुरोध किया था।

4. और जबकि, सरकार ने दिनांक 03.01.2018 के अपने पत्र संख्या 12-13/2014-यू3 (ए) के माध्यम से 'पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ', नवी मुंबई, महाराष्ट्र का नाम बदलकर 'डी. वाई. पाटिल', नवी मुंबई, महाराष्ट्र करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी है:—

i. समवत विश्वविद्यालय अपने नाम के साथ 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग नहीं करेगा।

ii. नए नाम और शैली में एक अलग सोसायटी/ट्रस्ट बनाना होगा।

iii. समवत विश्वविद्यालय की सभी परिसंपत्तियों (चल और अचल) को कानूनी रूप से नए नाम पर स्थानांतरित करना होगा।

iv. समवत विश्वविद्यालय के कॉर्पस फंड (मूल निधि) को नए नाम पर स्थानांतरित करना होगा।

v. समवत विश्वविद्यालय के संगम ज्ञापन/नियम नये नाम से होने चाहिए।

5. और इसके बाद जबकि, संस्थान ने दिनांक 14.02.2023 को अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सत्यापन और सलाह हेतु यूजीसी को भेजा गया था। अनुपालन रिपोर्ट के सत्यापन के बाद, यूजीसी ने दिनांक 18.07.2023 के अपने पत्र संख्या 6-30/2000 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सिफारिश की कि मंत्रालय समवत विश्वविद्यालय का नाम बदलने के अनुरोध पर विचार कर सकता है।

6. इसलिए अब, 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर निम्नलिखित शर्तों के साथ 'पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ', नवी मुंबई, महाराष्ट्र का नाम बदलकर 'डी. वाई. पाटिल', नवी मुंबई, महाराष्ट्र करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करती है:—

i. संस्थान 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन उसे अपने नाम के साथ 'समवत विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग करने की अनुमति है।

ii. संस्थान के नाम में परिवर्तन का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि दिनांक 30.06.2020 से आगे इसके समवत विश्वविद्यालय के दर्जे का विस्तार किया जा सकता है।

iii. इसके समवत विश्वविद्यालय की स्थिति के विस्तार या अन्यथा संबंधी निर्णय यूजीसी की सलाह प्राप्त होने पर मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

7. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषद के मानदंड/विनियम अपरिवर्तित रहेंगे और डी वाई पाटिल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा ईमानदारी से उनका पालन किया जाएगा।

नीता प्रसाद
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 4th October 2023

RESOLUTION

No. 5(3)-B(PD)/2023—It is announced for general information that during the year 2023-2024, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1 October, 2023 to 31 December, 2023. This rate will be in force w.e.f. 1 October, 2023. The funds concerned are:—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

ASHISH VACHHANI
Additional Secretary

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 25th September 2023

No. 9-17/1989-U.3/U.3(A)-V-III—Whereas, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act 1956, the Central Government vide Notification No.9-17/89-U.3 dated 24.10.2022, on the advice of the UGC, had declared Bhatkhande Music Institute, Lucknow as an Institution deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act.

2. And whereas, the Registrar, Bhakhande Sanskriti Vishwavidyalaya (formerly Bhatkhande Music Institute), Lucknow, vide letter No.124 BSU-1(11)/2023 dated 15.05.2023, informed that the State Government of Uttar Pradesh vide Legislative Section-1, Notification No.296/79/V-1-2022-1-A-1-2022 dated 03.06.2022 converted the status of Bhatkhande Music Institute, Lucknow from Deemed to be University to State University in the name of Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya, Lucknow. Accordingly, he requested to de-notify the Bhatkhande Music Institute, Lucknow from the list of deemed to be University.

3. And whereas, since Bhatkhande Music Institute, Lucknow had not obtained prior approval of the Central Government before converting itself from Deemed to be University to State Private University, the matter was referred to UGC for their advice.

4. And whereas, UGC, vide its letter No.5-19/85 (CPP-I/DU) dated 07.07.2023, conveyed that the Ministry may issue notification to de-notify the Bhatkhande Music Institute, Lucknow from the deemed to be University status.

5. Now, therefore, in exercise of the power conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, this Ministry, on the advice of UGC, hereby withdraws the status of an Institution deemed to be University given to Bhatkhande Music Institute, Lucknow vide the notification No.9-17/89-U.3 dated 24.10.2000 with the following conditions:—

(i) Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya will safeguard the interest of the last batch of students enrolled with Bhatkhande Music Institute, Lucknow.

(ii) Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya will preserve the records / materials of already passed out students from Bhatkhande Music Institute, Lucknow.

(iii) Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya will receive / acknowledge the official communications/grievances related to Bhatkhande Music Institute, Lucknow.

(iv) Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya will also safeguard the interest of faculty staff and non-faculty staff who are associated with Bhatkhande Music Institute, Lucknow.

(v) All the assets and liabilities including legal and financial standing in the name of Bhatkhande Music Institute, Lucknow shall be transferred to and vest in the Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya.

(vi) Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya will comply with the UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standard in Higher Education, 2018, as amended from time to time and other applicable rules/regulations of Central Government.

6. This Notification will become effective from the date when the compliance of the conditions mentioned in Para 5 is notified by the State Government of Uttar Pradesh.

NEETA PRASAD
Joint Secretary

No. 9-21/2000-U3(A)—Whereas, Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 provides inter-alia that the Central Government may, on the advice of the Commission, declare by notification in the Official Gazette, that any Institution for higher education, other than a University, shall be deemed to be a University for purpose of the said Act.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-21/2000-U.3 dated 20.06.2002, on the advice of UGC, had declared Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai, Maharashtra as an Institution deemed to be University subject to review after five years. Further, its deemed to be University status was extended upto 30.06.2020 vide this Ministry's Notification No. 9-21/2000-U.3 (Pt.1) dated 06.06.2018 & 06.05.2019.

3. And further whereas, the deemed to be University submitted its request to rechristen the name of existing 'Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth', Navi Mumbai, Maharashtra to 'D. Y. Patil', Navi Mumabi, Maharashtra.

4. And whereas, the Government, vide its letter No. 12-13/2014-U3(A) dated 03.01.2018, conveyed its in-principle approval for change of the name of 'Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth', Navi Mumbai, Maharashtra to 'D. Y. Patil', Navi Mumabi, Maharashtra subject to fulfilment of the following conditions:—

i. The Deemed to be University shall not use the word 'University' with its name.

ii. A separate Society/Trust has to be created in the name and style of new name.

iii. All the assets (moveable & immoveable) of the Deemed to be University have to be legally transferred in the new name.

iv. Corpus Fund of the Deemed to be University has to be transferred in the new name.

v. The MoA/Rules of the Deemed to be University should be in the new name.

5. And further whereas, the Institution submitted its compliance report on 14.02.2023 that was sent to UGC for verification and advice. After verification of the compliance report, UGC vide its letter No. 6-30/2000 (CPP-I/DU) dated 18.07.2023 recommended that the Ministry may consider the request for change of name of the deemed to be University.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby convey its approval for change the name of 'Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth', Navi Mumbai, Maharashtra to 'D. Y. Patil', Navi Mumabi, Maharashtra with the following conditions:—

i. The Institution shall not use the word 'University' but it is allowed to use the word 'deemed to be University' with its name.

ii. The change of name of the Institution should not be construed for the extension of its deemed to be University status beyond 30.06.2020.

iii. The decision for extension of its deemed to be University status or otherwise shall be taken by the Ministry on receipt of the advice of UGC.

7. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Norms / Regulations of UGC and Statutory Council(s) concerned, issued from time to time, shall remain unchanged and shall be scrupulously adhered to by D. Y. Patil, Navi Mumabi, Maharashtra.

NEETA PRASAD
Joint Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

Kshitiz Mohan